न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 56 / 2017

प्रार्थी:–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
1 सीतादेवी पत्नि मांगीलाल		1 सत्यनारायण पुत्र मांगीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी छितरिया तहसील सोजत
2 कुनाराम पुत्र मांगीलाल		2 ग्राम पंचायत अटबडा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत अटबडा
3 रमेश पुत्र मांगीलाल जातिगण ब्राहम्ण निवासीगण छितरिया तहसील सोजत		3 ग्रुप सचिव, ग्राम पंचायत अटबडा तहसील सोजत

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थित :–

1. श्री गजेन्द्र दवे, विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण
2. श्री सुरेन्द्र वैष्णव, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1

–: निर्णय :–

दिनांक 22/9/2017

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत, अटबडा द्वारा मिसल संख्या 65 / 1985, संकल्प संख्या 4 दिनांक 17.02.1986 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 9 / 86 दिनांक 17.02.1986 के विरूद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थीगण का पुश्तैनी कब्जासुदा मकान ग्राम छितरिया में आया हुआ स्थित है। उक्त भूमि पर मांगीलाल के कदीमी कब्जा था। मांगीलाल का स्वर्गवास हो चुका है, जिसके वारिशान में सीतादेवी (पत्नि) तथा तीन पुत्र सत्यनारायण, कुनाराम तथा रमेश है। सत्यनारायण सबसे बडा पुत्र है, जिसने बडे होने का नाजायज लाभ प्राप्त करते हुए ग्राम पंचायत अटबडा के समक्ष एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उपरोक्त वादस्थ भूखण्ड का पट्टा अपने अकेले के नाम बनवा दिया। जबकि उपरोक्त भूखण्ड पर प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 का संयुक्त रूप से कब्जा आया हुआ स्थित है, जो भूखण्ड प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 का पुश्तैनी एवं पैतृक भूखण्ड है, जिस पर प्रार्थी संख्या 1 ने लाखों रूपये खर्च कर उक्त भूखण्ड पर रहवासी मकान का निर्माण करवाया। पंचायती राज नियमों के अनुसार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने के पश्चात वादस्थ स्थल का मौका निरीक्षण तीन वार्ड पंचों की उपस्थिति में किया जाता है, किन्तु हस्तगत प्रकरण में इस प्रकार की कोई प्रक्रिया नही अपनाई गई। वादस्थ भूखण्ड में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 का बहिस्सा बराबर आता है, किन्तु अप्रार्थी संख्या 1 ने उपरोक्त भूखण्ड पर 25–30 वर्षो से कब्जा बताते हुए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने नाम जैर निगरानी पट्टा जारी करवाया है, जो विधि विरूद्ध है। ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी पट्टा जारी करने में किसी प्रकार से नियमों की पालना

अति. जिला कलक्टर, पाली

नही की है, अतः निगरानी स्वीकार करावे एवं जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को खारिज करावे।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा नियमों में प्रदत्त प्रक्रिया की पालना करते हुए जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 का मौके पर कब्जा है। उक्त भूमि किसी भी रूप में पुश्तैनी नही है। काफि वर्षो से अप्रार्थी संख्या 1 का कब्जा होने के कारण अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष पट्टा जारी करवाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है, जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा मिसल कायम कर मौका निरीक्षण हेतु तीन वार्ड पंचो को मनोनीत किया गया। उक्त वार्ड पंचो द्वारा मौका निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिस पर अन्तरिम विनिश्चय किया जाकर एक माह का आपत्ति नोटिस जारी किया गया तथा किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नही होने के कारण दो गवाहों के बयान कलमबद्ध किये जाकर आपसी बातचीत से प्रचलित बाजार दर से राशि प्रभारित कर पट्टा जारी किया गया है। इस प्रकार जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टा पूर्णतः विधिक प्रावधानों के तहत जारी किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटी नही है। अतः निगरानी खारिज करावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया। प्रार्थीगण ने यह निगरानी ग्राम पंचायत, अटबडा द्वारा मिसल संख्या 65/1985, संकल्प संख्या 4 दिनांक 17.02.1986 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 9/86 दिनांक 17.02.1986 के विरूद्ध पेश की है। जैर निगरानी पट्टे कि मिसल का अवलोकन करने पर प्रकट होता है कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा दिनांक 23.09.1985 को सरपंच ग्राम पंचायत अटबडा के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने कब्जासुदा बाडा का पट्टा बनाने का निवेदन किया है। इस पर मिसल कायम की गई तथा नक्शा आदि तैयार कर मौका निरीक्षण हेतु पत्रावली बैठक में पेश करने के आदेश दिये गये। उक्त आदेश की पालना में जो नक्शा तैयार किया गया, उस पर सचिव के हस्ताक्षर ही नही है तथा तीन वार्ड पंचों की कमेटी मनोनीत किये बिना, प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक को ही तीन वार्ड पंचों द्वारा मौका निरीक्षण कर अपना प्रतिवेदन ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। द्वितीय आदेशिका दिनांक 25.11.1985 को लिखी गई, जिसमें यह अंकित किया कि पंचान द्वारा मौका देखा गया। मौके पर किसी का एतराज नही है, प्रार्थी का कब्जा है, अतः सूचना पत्र हस्ब दफा 260 के तहत जारी होकर पत्रावली म्याद गुजरने के पश्चात पेश करने के आदेश दिये गये। इसके पश्चात पत्रावली दिनांक 17.02.1986 को प्रस्तुत होने पर नियम 266 के तहत पट्टा जारी करने के आदेश पारित किये गये। राजस्थान पंचायत (सामान्य) नियम 1961 के नियम 255 से नियम 261 में आबादी भूमि की बिक्री के प्रावधान वर्णित है। जिसके तहत नियम 256 (1) के तहत इच्छुक व्यक्ति द्वारा क्रय हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा एवं (2) के तहत आवेदन पत्र के साथ खरीदी जाने वाली भूमि का नक्शा तैयार करने हेतु दो रूपये की राशि पंचायत में जमा करायेगा। नियम 256 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर नियम 257 के तहत नक्शा तैयार किया जाना। इसके पश्चात नियम 258 के तहत पंचायत संकल्प द्वारा अपने पंचों में से किन्ही तीन पंचों को वांछित स्थल के निरीक्षण हेतु मनोनीत करती है, जो पंच अपनी रिपोर्ट ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत करते है। पंचों की रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर नियम 259 के तहत पंचायत बैठक में प्रस्तावित भूमि के विक्रय के सम्बन्ध में पंचायत

अस्थाई रूप से निर्णय पारित करेगी। इसके पश्चात नियम 260 के तहत प्रपत्र 50 में एक माह का आपत्ति आमन्त्रित करेगी। इसके पश्चात नियम 261 के तहत आपत्तियों का निस्तारण किये जाने तथा नियम 262 के तहत भूमि के नीलामी के प्रावधान है। इसके पश्चात नियम 263 के तहत भुगतान तथा भुगतान न करने पर पुनर्विक्रय के प्रावधान वर्णित है। नियम 264 में नीलामी की प्रक्रिया तथा नियम 265 में नीलाम की पुष्टि प्रावधित है। नियम 266 के तहत निजी बातचीत द्वारा आबादी भूमि का हस्तान्तरण के प्रावधान है। नियम 267 में भूमियों का निःशुल्क आवंटन तथा नियम 267 (क) के तहत विस्थापितों एवं भूतपूर्व सैनिकों को भूमि के आवंटन के नियम प्रावधित है। हस्तगत प्रकरण में जैर निगरानी पट्टा जारी करने में ग्राम पंचायत द्वारा नियम 156 (2), 258 की पूर्णतः अवहेलना की गई है। इसके अतिरिक्त नियम 268 के तहत उक्त आवंटन/हस्तान्तरण का अनुमोदन किया जाना भी रेकर्ड पर नही आया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा नियमों में विहित प्रक्रिया को अनदेखा करते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जिसे विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत, अटबडा द्वारा मिसल संख्या 65/1985, संकल्प संख्या 4 दिनांक 17.02.1986 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 9/86 दिनांक 17.02.1986 को निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति के साथ ग्राम पंचायत का रेकर्ड लौटाया जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 22/9/2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ बिश्नोई)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली